न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद सं0–37 / 2019–20

विजय लक्ष्मी उर्फ विजय लक्ष्मी देवी **बनाम** राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवा बारे में टि तारीख सहि
1	2	3

आदेश

23-11-20

प्रस्तुत अपील वाद विजय लक्ष्मी उर्फ विजय लक्ष्मी देवी, पति–दिनेश शर्मा, ग्राम–नीमा, थाना–धनरूआ, जिला–पटना जन वितरण बिक्रेता अनुज्ञप्ति सं0 12/16 (रद्द) द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी के आदेश ज्ञापांक–325 (आ0) दिनांक–24.09.2019 के विरूद्ध दायर किया गया है। इस मामलें में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा C.W.J.C वाद सं0 201/20 विजय लक्ष्मी उर्फ विजय लक्ष्मी देवी बनाम राज्य रिट में दिनांक–18.02.2020 को निम्न आदेश पारित किया गया है :–

"Accordingly, the present writ petition stands disposed off as not pressed, however, with liberty to the petitioner ot file appeal against the impugned order dated 24.09.2019, whereby and whereunder the P.D.S license of the petitioner bearing License No. 12/2016 has been canceeled.

It is needless to state that in case any appeal is filed within a period of four weeks from today, the appellate authority shall decide the case of the petitioner on merits, preferably within a period of six months from the date of filing of the appeal."

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा उक्त ई0सी0 अपील दिनांक–14.03.2020 को दाखिल किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। दिनांक–22.06.2020 को विडियों क्रोंफ्रेसिंग के माध्यम से अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुनकर वाद प्रतिग्रहित करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख मांग की गई। दिनांक–11.09.2020 को निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। दिनांक–12.10.2020 को उभय पक्षों की हाजरी पड़ी। साथ हीं विडियों क्रान्फ्रेसिंग के माध्यम् से सुनवाई की गयी।

अपीलार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी के ज्ञापांक–238 (आ0) दिनांक–17.07.2019 से स्पष्टीकरण मांग की गई

जिसमें आरोप लगाया गया कि दिनांक–11.05.2019 एवं 08.06.2019 को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पुनपुन द्वारा अपीलार्थी के जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता की दुकान की जांच के दौरान बिक्रेता के दुकान से सम्बद्ध लगभग 44 उपभोक्ताओं से पुछताछ किया गया। उपभोक्ताओं द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर खाद्यान्न एवं किरासन तेल वितरण में अनियमितता करने का आरोप लगाया गया जो निम्न प्रकार है :–

1. अंत्योदय योजना के अंतर्गत 35 किलोग्राम की जगह 30 किलोग्राम आपूर्ति करना। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा कहा कि उपभोक्ताओं को 21 किलोग्राम चावल एवं 14 किलोग्राम गेहूँ कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है।

2. पी0एच0एच0 उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत की गई कि 4 किलोग्राम खाघान्न आपूर्ति किया जाता है गेहूँ 2 किलोग्राम एवं चावल 2 किलोग्राम।

इसके उत्तर में अपीलकर्ता का कथन है कि उपभोक्ताओं को 3 किलोग्राम चावल एवं 02 किलोग्राम गेहूँ कुल 05 किलोग्राम खाद्यान्न आपूर्ति किया जाता है जिसका कैशमेमों भी उपभोक्ताओं को दिया जाता है।

3. उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत किया गया कि दुकान का संचालन निर्धारित समय से नियमित नहीं किया जाता है। माह में मात्र 1 अथवा 2 दिन दुकान खुलती है।

इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट किया गया कि यह आरोप गलत है क्योंकि इस दुकान में 600 (छः सौ) उपभोक्ता सम्बद्ध (Tag) है। जिसे माह के 1 अथवा 2 दिनों में खाद्यान्न को आपूर्ति करना सम्भव नहीं है। दुकान निर्धारित समय पर नियमित दुकान खुलती है।

4. उपभोक्ता मिन्नी देवी कार्ड सं0 26500021 माह सितम्बर, 2018 से मनोरमा देवी कार्ड सं0 26408878, सम्मी देवी कार्ड सं0 26409929, रंजन देवी कार्ड सं0 26600109 एवं अन्य अनेकों उपभोक्आतों को माह अप्रैल, 2018, जुलाई, 2018 एवं सितम्बर, 2018 से हीं खाद्यान्न आपूर्ति नहीं की गयी है।

उपरोक्त उपभोक्ताओं द्वारा लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में अपीलार्थी का कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी के ज्ञापांक 448 (आ0) दिनांक–24.07.2018 से विजय लक्ष्मी देवी के उपभोक्ताओं को सुशीला देवी, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता नदवां पंचायत के साथ सम्बद्ध किया गया है।

ज्ञापांक–325(आ0) दिनांक–24.09.2019 से अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति सं0 12/16 को रद्द कर दिया गया।

अभिलेख के परिशीलन एवं उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विजय लक्ष्मी देवी अनुज्ञप्ति सं0 12/16 को पूर्व में भी अनिमियतता के आरोप में अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी के ज्ञापांक–193(आ0) दिनांक–25.04.2018 स्पष्टीकरण किया गया था जिसपर कड़ी चेतावनी के साथ स्पष्टीकरण को स्वीकृत किया गया। इसके पश्चात् भी पुनः बिक्रेता द्वारा अनिमियतता करने की शिकायत को सत्य पाने पर अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी के आदेश ज्ञापांक–325(आ0) दिनांक–24.09.2019 द्वारा अनुज्ञप्ति सं0 12/2016 को रद्द कर दिया गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा पारित आदेश बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2016 के अनुकूल न्यायपूर्ण एवं उचित है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है।

अंत में अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

27/11/20

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

27/11/20

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।